भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 919

(25 जुलाई, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीएवाई-एनआरएलएम के अन्तर्गत संगठन से समृद्धि अभियान

919. डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री कृष्णपाल सिंह यादवः
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत शुरू किए गए संगठन से समृद्धि अभियान का विवरण, उद्देश्य और लक्ष्य क्या हैं;

(ख) मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए पात्रता तय किये जाने का तरीका क्या है;

(ग) क्या सरकार ग्राम स्तर पर एसएचजीएस की स्थापना के लिए कोई धनराशि उपलब्ध करा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): यह मंत्रालय ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करने और उनको निरंतर पोषण और सहायता देने के उद्देश्य से देश भर में (दिल्ली और चंडीगढ़

को छोड़कर) दीनदयाल अंत्योदय योजना -राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। यह सहायता तब तक जारी रहेगी है जब तक ये महिलाएं समय के साथ अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त नहीं कर लेतीं , अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं कर लेतीं और घोर गरीबी से बाहर नहीं आ जातीं। इस मंत्रालय ने **"संगठन से समृद्धि अभियान "** (एसएसएसए) का आयोजन दिनांक 18 अप्रैल से 30 जून तक 2023 तक किया जिसका उद्देश्य छूटे हुए पात्र , कमजोर और असुरक्षित रहने वाले ग्रामीण परिवारों को डीएवाई-एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में शामिल करना था। एसएसएसए के प्रमुख लक्ष्य हैं-

1	एसएसएसए का आयोजन करने वाली ग्राम पंचायतों (जीपी) की संख्या (लाख में)	1.1
2	एसएचजी में जुटाए जाने वाले परिवारों की संख्या (लाख में)	20
3	गठित किए जाने वाले नए स्वयं सहायता समूहों की संख्या (लाख में)	1.1
4	खोले जाने वाले नए एसएचजी बैंक खातों की संख्या (लाख में)	60,000
5	प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) लाभार्थियों के परिवारों की संख्या जिन्हें एसएचजी में संगठित किया जाएगा (लाख में)	10

(ख): सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी-2011) डाटाबेस के अनुसार कम से कम एक वंचना वाले परिवार, गरीबों की सहभागी पहचान (पीआईपी) की प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए परिवार तथा संबंधित ग्राम सभा द्वारा विधिवत जांचे गए परिवार मिशन के अंतर्गत शामिल किए जाने के लिए पात्र परिवार होते हैं।

(ग): जी, हां।

(घ): इस मिशन के अंतर्गत 20,000-30,000 रुपये की परिक्रामी निधि (आरएफ) प्रति एसएचजी और 2.5 लाख रुपये तक की सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) प्रति एसएचजी तक प्रदान करने का प्रावधान है।

(ङ): उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन से संबंधित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	गठित एसएचजी	एसएचजी में जुटाए गए परिवार	एसएचजी को पूंजीकरण सहायता (करोड़ रुपये में)	एसएचजी को वितरित बैंक ऋण (करोड़ रुपये में)	स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के तहत सहायता प्राप्त उद्यमों की संख्या	कृषि-पारिस्थितिक पद्धितियों (एईपी) को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्राप्त महिला किसानों की संख्या
1.	उत्तर प्रदेश	7,22,032	75,15,144	5,324.98	3,320.89	20,372	14,35,296
2.	मध्य प्रदेश	4,43,737	52,53,859	3,012.01	6,371.51	24,328	16,34,264
3.	महाराष्ट्र	5,99,750	59,75,904	1,462.78	19,782.42	4,831	42,45,504

टिप्पणी- उपरोक्त आंकड़े शुरुआत से लेकर दिनांक 30 जून 2023 तक का संचयी आंकड़े हैं।

*****